सार्वजनिक वितरण प्रणाली में संशोधन

160. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री रणजीत सिंह :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कतिपय संशोधन करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ग) इन संशोधनों को कब तक कार्यरूप दिए जाने की संभावना है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सावजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना व सुप्रवाही बनाना एक निरन्तर चलती रहने वाली प्रक्रिया है । केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सम्पुष्ट करने के लिए कदम उठाए हैं ताकि दूरस्थ दूर-दूर तक फैले, पहाड़ी, आदिवासी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली बेहतर तरीके से पहुंच सके । इस प्रयोजन के लिए लगभग 1700 ब्लाकों को चुना गया है । सरकार ने जून 1992 से इन अभिज्ञात क्षेत्रों में वितरण के लिए विशिष्ट अतिरिक्त आवटन किए हैं । इन क्षेत्रों में वितरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गेहूं व चावल विशेष राजसहायता युक्त मूल्यों पर सप्लाई किया जा रहा है ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार

161. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पिछले कुछ माह के दौरान वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करने तथा इसे और अधिक प्रभावी बनाने का कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो मई, 1992 के अन्त तक कौन-कौन से नए स्थानों पर सार्वजनिक वितरण की दुकानें खोली गई हैं ; और

(ग) भ्रष्टाचार को समाप्त करने और उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुए उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान प्रणली में क्या-क्या सुधार किए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत तथा सुप्रवाही बनाने के लिए कदम उठाए हैं ताकि देश के दूर-दूर तक फैले, पहाड़ी, आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में यह बेहतर तरीके से पहुंच सके । विभिन्न क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों, जैसे सूखा सभावित क्षेत्र कार्यक्रम मरुस्थल विकास कार्यक्रम समेकित आदिवासी विकास परियोजना तथा निर्दिष्ट पहाड़ी क्षेत्रों के तहत आने वाले लगभग 1700 ब्लाकों का राज्य सरकारों के परामर्श से पता लगाया गया है । शुरू किए गए उपायों में ये शामिल हैं जिन क्षेत्रों में उचित दर की दुकानें कम हैं अथवा नहीं हैं वहां अतिरिक्त दुकानें खोलना, इस प्रणाली की सुविधा से वंचित आबादी को राशन कार्ड जारी करना जहां आवश्यक हो वहां भंडारण की अतिरिक्त क्षमता का सृजन करना आदि ।

(ख) नई उचित दर की दुकानों की सही-सही अवस्थिति के बारे में निर्णय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है । राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अब तक 8800 से अधिक उचित दर की दुकानें खोली जा चुकी हैं ।

(ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जाली राशन कार्डों/इकाइयों को समाप्त करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की उचित दर की दुकानों के दरवाजे